वित्त निर्देश 5 /2024

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 121/43/वि/नि/चार/2024 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7/3/2024

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः–एन.पी.एस. के अंतर्गत टीयर–1 में पेंशन निधि (Pension Fund) और निवेश पैटर्न (Investment Pattern) के विकल्प एवं अंशदान के विलंब से जमा होने पर ब्याज के संबंध में ।

––0––

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. 1/3/2016–पीआर दिनांक 31 जनवरी 2019 के द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) को युक्तिसंगत बनाने के लिए मूल अधिसूचना सं. 5/7/2013–ईसीबी/पीआर दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 में एन.पी.एस. के अंतर्गत टीयर–1 में पेंशन निधि (Pension Fund) और निवेश पैटर्न (Investment Pattern) के विकल्प एवं अंशदान के विलंब से जमा होने पर ब्याज के संबंध में संशोधन किये गये हैं।

1. भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रावधान के अनुरूप राज्य शासन के अंतर्गत कर्मचारी की निधि वर्तमान में डिफाल्ट स्कीम में सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र के पेंशन फण्ड मैनेजर्स द्वारा निवेशित की जाती है। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी 2023 द्वारा राज्य शासन के पेंशन योग्य स्थापना में दिनांक 01.11.2004 को अथवा उसके पश्चात् नियुक्त समस्त कर्मचरियों के लिए नवीन पेंशन अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने अथवा पुरानी पेंशन योजना के विकल्प चयन का प्रावधान किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में जिन शासकीय सेवकों के द्वारा एन.पी.एस विकल्प का चयन किया गया है. ऐसे शासकीय सेवक यदि निवेश से अधिक प्रतिफल प्राप्त करने हेतु एन.पी.एस. के टीयर–1 में पेंशन निधि (Pension Fund) और निवेश पैटर्न (Investment Pattern) के विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं तो अभिदाता के स्वेच्छा के आधार पर पेंशन निधि एवं निवेश पद्धति को परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जा सकती है। जिसके लिए निम्नानुसार प्रावधान किये जाते हैः–

...2

A एन.पी.एस. के टीयर–1 में पेंशन निधि (Pension Fund) और निवेश पैटर्न (Investment Pattern) का विकल्प :–

(i) पेंशन निधि (Pension Fund) का विकल्पः निजी क्षेत्र के अभिदाताओं के समान सरकारी अभिदाताओं को भी पेंशन निधि (निजी क्षेत्र के पेंशन फण्ड मैनेजर्स सहित) का चयन करने की अनुमति दी जाती है। वे वर्ष में एक बार अपने विकल्प को बदल सकते हैं। तथापि सार्वजनिक क्षेत्र पेशन निधि की वर्तमान व्यवस्था मौजूदा तथा नये अभिदाताओं के लिए डिफाल्ट विकल्प के रूप में उपलब्ध रहेगी।

(ii) निवेश पद्धति (Investment Pattern) का विकल्पः सरकारी कर्मचारियों को निवेश के निम्नलिखित तीन विकल्प प्रदान किये जाते हैं–

(क) मौजूदा तथा नये शासकीय कर्मचारियों हेतु मौजूदा योजना स्वतः उपलब्ध योजना (Default Scheme) के रूप में जारी रहेगी। इस योजना के अतर्गत पीएफआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक उपकम क्षेत्र के तीन निधि प्रबंधको (Pension Fund Managers) के बीच उनके पूर्व के कार्यनिष्पादन (Past Performance) के आधार पर निधियां आबंटित की जाती है।

(ख) शासकीय कर्मचारी जो न्यूनतम जोखिम के साथ निर्धारित प्रतिफल के विकल्प का चयन करते हैं, उनको सरकारी प्रतिभूतियों (Government Security) (योजना जी) में 100 प्रतिशत निवेश करने का विकल्प उपलब्ध होगा ।

(ग) शासकीय कर्मचारी जो उच्चतर प्रतिफल के लिए विकल्प का चयन करते हैं, उन्हें जीवनचक्र पर आधारित (Life Cycle Based Scheme) निम्नलिखित दो योजनाओं का विकल्प उपलब्ध होगा –

(a) परंपरागत जीवन चक्र निधि (Conservative Life Cycle Fund), जिसमे एक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत निर्धारित है (एलसी–25)

(b) सामान्य जीवन चक्र निधि (Moderate Life Cycle Fund), जिसमे इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित है (एलसी–50)

(iii) पुराने कॉर्पस (Legecy Corpus) के लिए विकल्पों को लागू करनाः– सरकारी अमिदाताओं को संचित निधि (Accumulated Corpus) के संबंध में पेंशन निधि अथवा निवेश पद्धति को एक बारगी बदलने की अनुमति देने में पीएफआरडीए को व्यवहारिक कठिनाई हो सकती हैं। अतः वर्तमान में पेंशन निधि अथवा निवेश पद्धति में परिवर्तन की अनुमति केवल बढ़ी हुई निधि (Incremental Flows) हेतु प्रदान की जाती है।

(iv) पुराने कॉर्पस (Legecy Corpus) को समुचित समयावधि में परिवर्तित करनाः–
सरकारी के क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए नये विकल्पों के अनुसार संचित कॉर्पस (Accumulated Corpus) को समुचित समयावधि (Reasonable Time Frame) अर्थात 5 वर्ष में अंतरित करने हेतु पीएफआरडीए द्वारा योजना तैयार किये जाने पर उक्त योजना के अनुसार संचित कॉपर्स के संबंध में पेंशन निधि अथवा निवेश पद्धति में परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है।

B. अंशदान के विलंब से जमा होने पर ब्याज – विलंब होने की दशा में अभिदाता जिम्मेदार न होने के मामले मे,

(i) वित्त निर्देश 16/2018 दिनांक 27.03.2018 में विहित समय सीमा के पश्चात राष्ट्रीय पेशन प्रणाली मे अभिदाता के रजिस्ट्रीकरण में विलंब होने के कारण मासिक अंशदान का प्रारम्भ होना।

या

(ii) वित्त निर्देश 16/2018 दिनांक 27.03.2018 एवं वित्त निर्देश 17/2018 दिनांक 27.03.2018 में उल्लेखित समय सीमा के पश्चात् सरकार द्वारा अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान विलंब से जमा करना।

विलंबित अवधि के लिए अंशदान की राशि ब्याज सहित जमा की जावेगी तथा उन सभी मामलों जिनमें अंशदान सीआरए सिस्टम में विलंब से स्थानांतरित हुए थे ऐसे मामलों में विलंबित अवधि के लिए ब्याज अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते (PRAN) में जमा की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ ब्याज की दर सामान्य भविष्य निधि निक्षेपों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविनिश्चिय ब्याज की दर होगी।

कंडिका **B** के अनुसार अंशदान के विलंब से जमा होने पर ब्याज के प्रत्येक मामले में जिम्मेदारी के निपटान के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा जांच की जाएगी;

(ii) यदि विभागाध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि प्रशासनिक चूक के कारण विलंब हुआ है तो ब्याज के भुगतान के कारण सरकार को हुए आर्थिक नुकसान की राशि का भुगतान करने के लिए अपचारी अधिकारी या अधिकारीगण उत्तरदायी होंगे।

(iii) अपचारी अधिकारी या अधिकारियों द्वारा देयता (ब्याज) की राशि का चालान लोक लेखा शीर्ष 8342– अन्य जमा, 117– शासकीय सेवकों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना, (6805) अंशदान ब्याज, में जमा किया जावेगा।

उपरोक्त प्रावधान के संबंध में पीएफआरडीए से समन्वय स्थापित कर आवश्यक प्रावधान एवं कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक पेंशन एवं भविष्य निधि को अधिकृत किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(इन्द्रप्रकाश रात्रे)
अवर सचिव

क्रमांक122/43/वि/नि/चार/2024 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7/3/2024

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. सचिव, वित्त के स्टॉफ ऑफिसर, मंत्रालय
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त अपर सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव /विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19 समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु

(इन्द्रप्रकाश रात्रे)
अवर सचिव